रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122022-241045 CG-DL-E-13122022-241045

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5595] No. 5595] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

सं. 107/2022-सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 5831(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ख) और (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्दवारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे का.आ. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, 10वे परंतुक, अर्थात्:-

"बशर्ते यह भी कि ककरावाह को बैगेज, यात्रियों के वाहन और पर्यटन वाहनों के क्लियरेंस के लिए भू सीमा-शुल्क केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाए |",

का विलोपन किया जाता है।

[फा. सं. 552/1/2011-एलसी(वॉल्यूम-II)]

हरीश कुमार, अवर सचिव

8322 GI/2022 (1)

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.) को का.आ. 830 (अ), दिनांक नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 102/2022-सीमा शुल्क (गै.टे.) जिसे का. आ. 5747(अ) दिनांक 8 दिसंबर, 2022 के तह भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

No. 107/2022- Customs (N.T.)

S.O. 5831(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 63/1994-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 830 (E), dated the 21st November, 1994, namely: -

In the said notification, in the opening paragraph, the tenth proviso, namely: -

"Provided also that Kakrawah is appointed as land customs station for the purpose of clearance of baggage, passenger vehicles and tourist vehicles:",

shall be omitted.

[F. No. 552/1/2011-LC(Vol.II)]

HARISH KUMAR, Under Secy.

Note: The principal notification No.63/1994-Customs (N.T.) was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 830(E), dated the 21st November, 1994 and was last amended, *vide* notification No.102/2022-Customs (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.5747(E), dated the 8th December, 2022.